न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर
पीठासीन अधिकारी :– कीर्ति राठौड़, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 14/2024 (राजसमन्द आर्डर)

प्रथींग पिता भूरा जी खरवड़ राजपूत, निवासी नवाघर, केसुली, तहसील देलवाड़ा, जिला राजसमन्द (राज.)

.... अपीलान्ट

बनाम

1. मानसिंह पिता भंवरसिंह जी राजपूत, निवासी नवाघर, केसुली, तहसील देलवाड़ा, जिला राजसमन्द (राज.)
2. प्रेमसिंह पिता फता जी जी खरवड़ राजपूत, निवासी नवाघर, केसुली, तहसील देलवाड़ा, जिला राजसमन्द (राज.)
3. मोहनसिंह पिता सवसिंह जी खरवड़ राजपूत, निवासी नवाघर, केसुली, तहसील देलवाड़ा, जिला राजसमन्द (राज.)
4. विजयसिंह पिता सवसिंह जी खरवड़ राजपूत, निवासी नवाघर, केसुली, तहसील देलवाड़ा, जिला राजसमन्द (राज.)
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, देलवाड़ा, जिला राजसमन्द (राज.)

.................रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान
काश्तकारी अधिनियम–1955 विरूद्ध
निर्णय उपखण्ड अधिकारी, नाथद्वारा
दिनांक 12.02.2024 प्र.सं. 228/2021

–––/–––

उपस्थित :– 1– श्री सुरेश खटीक अभिभाषक अपीलान्ट
2– श्री मुकेश तलेसरा अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट

–––::–––

निर्णय **दिनांक 14–05–2024**

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम केसूली में प्रार्थी के आधिपत्य की आराजी नंबर 413, 414, 417, 418, 419, 422 कुल किता 6 रकबा 0.1643 हैक्टर भूमि स्थित है, जो वर्तमान में प्रार्थी व विपक्षीगण के नाम दर्ज है। इसी प्रकार आराजी नंबर 412 रकबा 0.0253 हैक्टर भूमि विपक्षीगण के खाते में दर्ज है एवं उक्त आराजी के सटमा ही प्रार्थी की आराजी स्थित है, जिसमें उक्त आराजी नंबर मेन रास्ते से होकर आराजी नंबर 412 व 415 से होकर [illegible] ीप से अपने पूर्वाधिकारी के

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.06.04 14:12:40 IST
Reason: SelfAttested

समय से आता जाता है। मौके पर रास्ता मौजूद है, किन्तु रेकार्ड में दर्ज नहीं होने से विपक्षीगण अवरोध करते हैं। अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं होने से प्रार्थी का काफी असुविधा हो रही है। अतः प्रार्थी को आराजी नंबर 412 में से 30 फिट चौड़ा रास्ता दिलाया जाकर राजस्व रेकार्ड में दर्ज किया जावे।

अधिनस्थ न्यायालय ने तहसीलदार से मौका रिपोर्ट प्रापत कर दिनांक 12–02–2024 को निर्णय पारित करते हुए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/विपक्षी संख्या 1 द्वारा यह अपील दिनांक 24–05–2024 को इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोन्डेन्टगण को जरिये सम्मन सूचना दी गई, जिस पर रेस्पोन्डेन्ट की ओर से अधिवक्ता श्री मुकेश तलेसरा उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि दिनांक 15–05–2024 को पटवारी हल्का व आर आई मौके पर आये तो उक्त निर्णय की जानकारी हुई। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे।

हमने उक्त प्रार्थना पत्र पर उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। अपील प्रस्तुत करने में अल्प विलम्ब हुआ है। अतः प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय करने के दृष्टिगत न्यायहित में मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः वक्त बहस दोहराते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायलय ने अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर दिये बिना आदेश पारित किया है, जो त्रुटि पूर्ण है। उक्त आराजियात के संबंध में रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 द्वारा माननीय सिविल न्यायालय नाथद्वारा में एक वाद मानसिंह बनाम प्रथींग प्रस्तुत कर रखा है, जिसमें वाद के साथ अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया गया है, जिसमें न्यायालय द्वारा मौके की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश होते हुए भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त आदेश पारित कर दिया गया है, जो विधिक

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.06.04 14:12:40 IST
Reason: SelfAttested

प्रावधानों के विपरीत है। विवादित आराजियात पर अपीलान्ट ने करीब 4 लाख रूपये खर्च कर मौके पर पक्का निर्माण किया है, जिसमें रास्ता कायम करने का आदेश विधि विरूद्ध है। मौका रिपोर्ट अपीलान्ट की अनुपस्थिति में बनायी गयी है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे।

उक्त बहस का जवाब देते हुए विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने बताया कि मौके पर अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार देलवाड़ा की मौका रिपोर्ट के आधार पर रास्ते बाबत् आदेश पारित किया है, जो विधि सम्मत है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। तहसीलदार देलवाडा की मौका रिपोर्ट अनुसार मौके पर उक्त रास्ते के अलावा न्यूनतम दूरी का अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है। सिविल न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 98/2020 में दिनांक 14–09–2020 को स्थगन आदेश जारी किया गया है, वह आराजी नंबर 1651 जो आबादी की भूमि बाबत् है, जबकि वर्तमान प्रकरण में अन्य आराजी नंबर होकर कृषि भूमि है। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट का यह कथन कि स्थगन के बावजूद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रास्ते बाबत् आदेश पारित किया गया है, उचित प्रकट नहीं होता है। रास्ते के मामले में पक्षकारों के उपस्थित रहने अथवा नहीं रहने से मौका रिपोर्ट की विश्वसनियता पर प्रश्न चिंन्ह नहीं लगाया जा सकता। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय ने तहसीलदार देलवाड़ा की मौका रिपोर्ट के आधार पर जो निर्णय पारित किया है, वह प्रथम दृष्टया विधि सम्मत होने से हम उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना आवश्यक नहीं समझते हैं।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 12–02–2024 यथावत रखा जाता है। निर्णय आज दिनांक 14–05–2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(कीर्ति राठौड़)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.06.04 14:12:40 IST
Reason: SelfAttested